जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस

दिनांक 30.11.2024

यातायात निदेशालय द्वारा मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर-2024 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण।

यातायात निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे यातायात माह नवम्बर-2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिग की जा रही हैं जिसके क्रम में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरुक किया जा रहा है।

माह नवम्बर 2024 में नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा वाहन चैकिंग की गयी। वाहन चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उलघंन करने वाले **14112** वाहनों के चालान किये गये जिसमें **1832600/-**रुपये का शमन शुल्क वासूला गया। जिसमें यातायात पुलिस द्वारा **11410** वाहनों के चालान किये एवं **1351700/-**रुपये का शमन शुल्क वसूला गया, जिसमें अनाधिकृत रुप चल रहे डग्गामार वाहन / दुपहिया वाहनों को जुगाड़ वाहन बनाकर माल ढोने वाले एवं अन्य **52** वाहनों को सीज किया गया। ओवर स्पीड में चलने वाले **315** वाहनों के स्पीड रडार लगाकर चालान किये गये, सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े पाये गये **70** ट्रक, डग्गामार वाहन **75** व क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले के **108** वाहनों के चालान किए गए। इसी दौरान **125** ओवर लोड ट्रक / ट्रेक्टरों के भी चालान किये गये एवं कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से वचाव हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली पर **2608** रिफलेकटर टैप लगाये गये। यातायात माह के समापन के दौरान श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर , क्षेत्राधिकारी यातायात व प्रभारी यातायात द्वारा बिजनौर शहर के शक्ति चौराहे व सैन्ट मैरी चौराहे पर आमजन मानस को यातायात के नियमों से जागरुक करते हुये हेलमेट बाटे गये।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 30.11.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 565/24 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.11.2024 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि बाल अपचारी द्वारा शादी का झांसा देकर वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 565/2024 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 69 बीएनएस का विलोप किया गया तथा धारा 64(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.11.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

उ0नि0 अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

कां0 1273 सनुज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 30.11.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में प्रतिबन्धित गौवंशीय अवशेष मिले है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.शाहरूख पुत्र नईमुद्दीन 3.श्रीमती गुलशन पत्नी शमशाद 4.शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासीगण ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त को पुलिस मूठभेड मे गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दिनांक 29.10.2024 को नाजिर पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम बेडा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.10.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता गुलशन पत्नी शमशाद निवासी ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुलशन पत्नी शमशाद निवासी ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.म0उ0नि0 श्रीमती जूही थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.म0का0 2361 प्रीती थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4.म0का0 2407 ओमी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5.म0का0 786 ममता थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6.का0 2484 संदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

BIJNOR POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

माह नवम्बर - 2024

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह नवम्बर में कुल – 35 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया –

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह नवम्बर में कुल–35 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
01	कोतवाली शहर	1055/24	137(2) बीएनएस
02	कोतवाली शहर	964/24	87 बीएनएस
03	कोतवाली शहर	1039/24	87,351(2) बीएनएस
04	कोतवाली शहर	1077/24	137(2) बीएनएस
05	कोतवाली शहर	1095/24	137(2) बीएनएस
06	कोतवाली शहर	1105/24	137(2) बीएनएस
07	हल्दौर	300/24	137(2) बीएनएस
08	हल्दौर	320/24	87 बीएनएस
09	हल्दौर	321/24	137(2) बीएनएस
10	मण्डावर	299/24	137(2) बीएनएस
11	नगीना	307/24	87,351(2),61(2) बीएनएस
12	नजीबाबाद	455/24	87,352,351(2) बीएनएस
13	चाँदपुर	620/24	87 बीएनएस

14	चाँदपुर	644/24	87 बीएनएस
15	नूरपुर	408/24	87,115(2),325,351(3) बीएनएस
16	नूरपुर	439/24	87 बीएनएस
17	कोतवाली देहात	241/24	87 बीएनएस
18	कोतवाली देहात	242/24	87 बीएनएस
19	कोतवाली देहात	243/24	137(2) बीएनएस
20	बढापुर	224/24	87 बीएनएस
21	बढापुर	229/24	87 बीएनएस
22	धामपुर	499/24	137(2), 352 बीएनएस
23	धामपुर	527/24	धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट
24	धामपुर	536/24	137(2) बीएनएस
25	स्योहारा	573/24	87 बीएनएस
26	नहटौर	320/24	137(2) बीएनएस
27	नहटौर	351/24	87 बीएनएस
28	नहटौर	374/24	137(2) बीएनएस
29	अफजलगढ	317/24	87, 351(2),352 बीएनएस
30	शेरकोट	209/24	87 बीएनएस
31	शेरकोट	208/24	87 बीएनएस
32	शेरकोट	122/24	137(2) बीएनएस
33	शेरकोट	212/24	137(2) बीएनएस
34	शेरकोट	215/24	87 बीएनएस
35	रेहड	125/24	87 बीएनएस

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 30.11.2024**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 577/24 धारा 299/353(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.11.2024 को aizu_bhai00 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से धर्म विशेष के आराध्य के विरुद्ध की गयी अभद्र / आपत्तिजनक टिप्पणी / पोस्ट के कुछ स्क्रीनशॉटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्वीटर) पर वायरल हुए। उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 577/24 धारा 299/353(2) बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.11.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

1.श्री अमित कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर

2.बाल कल्याण अधिकारी उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर

3.कां0 1849 मोनू कुमार थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर

4.कां0 1058 अमित कुमार थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर